अपील सूचना अधिकार संख्या 63/2019 (RCMS 2019/00170) राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक श्रीगंगानगर बनाम तहसीलदार निर्वाचन, श्रीगंगानगर हाल पी.टी.एस., गजसिंहपुर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.08.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए। उसे सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसने प्रधानाध्यापक, पी.टी.एस., गजसिंहपुर से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 18.06.2019 से 13 बन्दुओं पर सूचना चाही थी। प्रधानाध्यापक, पी.टी.एस., गजसिंहपुर ने उसे बिन्दुवार सूचनाएं नहीं दी गई है जबकि 30 दिवस के अन्तर्गत उसे सूचना उपलब्ध करवाना जाना आवश्यक था। इसलिए उसकी अपील स्वीकार की जाकर वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत धारा 20(1) व (2) के अन्तर्गत 25000/– शास्ति अधिरोपित करने की कृपा करें एवं उचित हर्जाना दिलवाया जावे।

मैनें प्रार्थी उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 18.06.2019 (P.O. No. 41F/577577) के द्वारा कुल 13 बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो उसे लोक सूचना अधिकारी एवं प्रधानाध्यापक, पी.टी.एस., गजसिहंपुर द्वारा बिन्दुवार सूचना उपलब्ध न करवाने के कारण यह अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा अपने सूचना के अधिकार प्रार्थना पत्र में निम्न सूचनाएं चाही थी :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रधानाध्यापिका, श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई, गजसिंहपुर द्वारा अपने पत्रांक 29.05.2019 से श्रीमान अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर को जांच रिपोर्ट के जवाब में लिखे पत्र के साथ संलग्न मोनिका देवी पत्नी श्री भगवानदास द्वारा निरस्त्रीकरण दस्तावेज के सम्बन्ध में सूचना :

1. उपरोक्त दस्तावेज दिनांकित 11.04.200 जिस माध्यम व स्त्रोत से प्राप्त किया गया है उस स्त्रोत व माध्यम की सूचना व माध्यम की सूचना व माध्यम व स्त्रोत की प्रमाणित प्रति।
2. उपरोक्त दस्तावेज 2 पाई पेपर पर लिखा गया है, इसकी सूचना व प्रमाणित।
3. पाई पेपर पर 30/– रूपये का स्टाम्प अंकित है जो टाईप से अंकित है, इसकी प्रमाणित प्रति।
4. इस दस्तावेज को वसीयत निरस्तीकरण को श्रमती मोनिका देवी द्वारा प्रस्तुत कर उपस्थित होकर निष्पादित
5. उक्त दस्तावेज को प्राप्त करने में जो राशि. जिस विभाग में जमा करायी, उसकी राशि की सूचना व जमा राशि की रसीद की प्रमाणित प्रति।
6. उक्त दस्तावेज जांच रिपोर्ट के जिस बिन्दु से सम्बन्धित है, उस बिन्दु की सूचना व दस्तावेज की प्रमाणित प्रति।
7. उक्त दस्तावेज जिस विभाग से प्राप्त किया है, उस विभाग के अधिकारी का नाम व पद की सूचना।
8. दस्तावेज पर फोटो जिस विभाग से प्राप्त किया है, उस विभाग के अधिकारी का नाम व पद की सूचना।
9. दस्तावेज पर फोटो जिस दिवस सरकार द्वारा चिपकाया के आदेश जारी किये, उस दिवस व आदेश की प्रमाणित प्रति।
10. प्रार्थी का हस्त लिखित पत्रांक दिनांकित 04.01.19 सम्बोधित श्रीमान् जिला कलक्टर श्रीगंगानगर मार्कड OIC पंजीयन द्वारा जिला कलैक्टर, श्रीगंगानगर आपको जिस माध्यम से प्राप्त हुआ, उस माध्यम की सूचना व माध्यम की प्रमाणित प्रत।
11. पत्र प्राप्त करने में जमा कराई गई राशि की सूचना व रसीद की प्रमाणित प्रति।
12. उस पत्रांक जांच रिपोर्ट के जिस बिन्दु से सम्बन्धित है, उसकी सूचना।
13. जिस विभाग के कर्मचारी व अधिकारी से उक्त दस्तावेज प्रापत किया, उसका नाम व पद की सूचना।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त सूचनाओं के सम्बन्ध में **प्रधानाध्यापक, पटवार प्रशिक्षण केन्द्र, गजसिंहपुर ने अपने पत्रांक 335–36 दिनांक 22.07.19 से अपीलार्थी को निम्न प्रकार से उत्तर दिया गया है :**

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में आप द्वारा चाही गई सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार है :

क्रमांक	बिन्दु	सूचना का जवाब
1	1,2,4,5,7, 8,9,10,11, 13 एवं 15	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप से नहीं होनी चाहिए, सूचना के रूप में प्रत्यार्थी न तो कोई सूचना बना सकते है और न ही स्वयं का मत दे सकते है, लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है **कि वह आवेदक को सामग्री उसकी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है, सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना**, लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते, सूचना के अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में प्रदान किया जा सकता है। बिन्दु संख्या 1,2,4,5,7,8,9,10,11,13 एवं 15 में संदर्भित क्रमांक का पत्र इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
2	3,6,12,14	बिन्दु संख्या 3,6,12,14 इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

-sd-
प्रधानाध्यापक
पटवार प्रशिक्षण केन्द्र
गजसिंहपुर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इसके अतिरिक्त प्रधानाधपक पटवार प्रशिक्षण केन्द्र, गजसिंहपुर ने उक्त अपील के सम्बन्ध में अपने पत्रांक 375 दिनांक 16.08.2019 में निवेदन किया है कि :

इस कार्यालय में इससे सम्बन्धित कोई अभिलेख/दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण संलग्न कर संभव नहीं है। श्रीमान्जी प्रधानाध्याक, पटवार प्रशिक्षण शाला, गजसिंहपुर का अपील अधिकारी निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर है। (आदेश की प्रति संलग्न है।) अतः अपील को निरस्त करने का कष्ट करें।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध पटवार प्रशिक्षण केन्द्र, गजसिंहपुर से है और लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत पटवार प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है बल्कि इस हेतु राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थन, अजमेर के पत्रांक प.1(78)राअप्रसं/स्था./08 दिनांक 03.01.2006 तहत प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर अधिकृत है। इसलिए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को प्रथम अपील की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नही है

चूंकि इस न्यायालय को उक्त अपील को प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज की जाती है कि प्रार्थी चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में सक्षम प्रथम अपीलीय न्यायालय में नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रधानाध्याक, पटवार प्रशिक्षण केन्द्र, गजसिंहपुर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर